90

रा/नि/प्रा0/रीवा/भू.रा.0/2017/4597

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0

+10330

रामभुवन पटेल तनय श्री धर्मदास पटेल उम्र 66साल पेशा कृषि निवासी ग्राम शिवपुरवा 603 तहसील गुढ,थाना गोबिन्दगढ जिला रीवा म0प्र0

................निगरानीकर्ता

बनाम

भोलानाथ त्रिपाठी पिता श्री रामनाथ त्रिपाठी उम्र 50 साल निवासी ग्राम शिवपुरवा 603, तहसील गुढ थाना गोबिन्दगढ जिला रीवा म0प्र0

...............गैर निगरानीकर्ता

अधि0श्री राजेन्द्र पटेल द्वारा पेश। 23.11.17

13.11.17

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी बिरुद्ध आदेश तहसीलदार तहसील गुढ जिला रीवा के प्र0क01303अ12/15-16 सीमांकन आदेश दिनांक 8.11.2017 के बिरुद्ध निगरानी .

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म.प्र.भू.रा.सं.

महोदय,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है:-

1. यह कि ,अधीनस्थ तहसील न्यायालय गुढ का आदेश दिनांक 28.11.017 सीमांकन की स्वीकृति बिधि व प्रकिया के बिपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि , आराजी नम्बर 274 रकवा 0.040आरे.ब0नं02 स्थित ग्राम शिवपुरवा 603 प0ह0603 शिवपुरवा की भूमि निगरानीकर्ता की स्वत्व व अधिपत्य की है।
3. यह कि , निगरानीकर्ता के भूमि नम्बर 274 से लगी हुयी आराजी 268/1 है जो गैर निगरानीकर्ता की है, उक्त भूमि के सम्बन्ध मे

रामभुवनपटेल

दिया गया

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक–दो/निग./रीवा/भू.रा./17/4597

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.05.18	आवेदक अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटेल उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील गुढ जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 130/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 08.11.2017 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में सलंग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य मुद्दा यह उठाया गया है कि तहसील न्यायालय गुढ का आदेश दिनांक 28.11.17 सीमांकन की स्वीकृति विधि व प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। आराजी न. 274 रकबा 0.040 आरे ब. न. 2 स्थित ग्राम शिवपुरवा 603 पटवारी हल्का 603 शिवपुरवा की भूमि निगरानी कर्ता की स्वत्व व अधिपत्य की है। आवेदक के भूमि न. 274 से लगी हुई आराजी 668/1 अनावेदक की भूमि है। आवेदक द्वारा पूर्व में सीमांकन कराया गया था जिसमें पटवारी द्वारा सीमांकन करके मौके में 80 कडी बताया था, किन्तु बाद में उसी जमीन का सीमांकन	बा

कराया गया तो पटवारी द्वारा उसी भूमि में 106 कडी निकाल दिए जबकि कुल रकबा 110 कडी है। उनके द्वारा बताया गया है कि सीमांकन की प्रकिया विधि विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

3–प्रकरण में दस्तावेजों का अध्ययन किया इससे स्पष्ट होता है कि दिनांक 08.11.17 को किया गया सीमांकन एवं दिनांक 08.12.16 को किया गया सीमांकन में भिन्नता होने के कारण राजस्व निरीक्षक वृत्त दुआरी तहसील गुढ जिला रीवा का आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है।

4–उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त दुआरी तहसील गुढ का आदेश दिनांक 08.11.17 त्रुटिपूर्ण होने से एवं पूर्व के आदेश दिनांक 8.12.16 एवं 08.11.17 द्वारा सीमांकन में भिन्नता होने के कारण स्थिर रखने योग्य नहीं हैं परिणामस्वरूप राजस्व निरीक्षक वृत्त दुआरी तहसील गुढ का आदेश दिनांक 08.11.17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण राजस्व निरीक्षक दुआरी तहसील गुढ को प्रत्यावर्तित कर निर्देश दिया जाता है कि वह सीमांकन हेतु दल गठित कर पुनः कार्यवाही करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य